# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

**अपील सं0 :– 32/2013** **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति मीणा निवासी भैरू का चबूतरा अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।
2. जिला वन अधिकारी, कार्यालय नयाबास का चौराहा, अलवर ।

.....असल रेस्पोडेन्टान

3. चन्दीदेवी पत्नी स्व0 श्री रामजीलाल जाति मीणा, –मृतक
4. शिवलाल पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल जाति मीणा,
5. कमली बेवा राजू जाति मीणा,
6. सचिन पुत्र राजू नाबालिग,
7. ज्योति पुत्री राजू नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती कमली बेवा राज जाति मीणा,
8. दीनदयाल पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल मीणा,
9. दीनदयाल पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति मीणा निवासी भैरू का चबूतरा अलवर राज0
10. हीरा पुत्री स्व0 रामजीलाल जाति मीणा निवासी भैरू का चबूतरा अलवर ।
11. रतनी पुत्री स्व0 रामजीलाल पत्नी रामदयाल जाति मीणा निवासी मीणा पाड़ी, अलवर
12. मु0 धन्नी बेवा रामचन्दर,
13. गुलाबचन्द पुत्र रामचन्दर,
14. गिर्राज पुत्र रामचन्दर,
15. बालाराम पुत्र रामचन्दर,
16. कुन्जी पुत्र रामचन्दर,
17. मु0 बत्तो बेवा देवी सहाय,

18. अभिषेक पुत्र देवीसहाय नाबालिग जरिये नाबालिग नेकस्ट फ्रेण्ड बसरपरस्ती माता मु0 बत्तो,
19. ज्योति पुत्री देवी सहाय नाबालिग जरिये नाबालिग नेकस्ट फ्रेण्ड बसरपरस्ती माता मु0 बत्तो ।

..... तर0 रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री संजीव जैन अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

::: निर्णय :::

दिनांक :–07.12.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 7.5.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट तहत अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 3332 रकबा 15 बीधा वाके अलवर नं0 2 में से 4 बीधा आराजी वादी सं0 1 व 2 तथा वादी सं0 3 व 5 के पिता रामचन्दर, प्रतिवादी सं0 7 के ससुर व वादी सं0 8 व 9 के दादा को आवंटित हुई थी जिसका पट्टा प्राप्त होकर वादी के पक्ष में इन्तकाल हो गया जो घटना बही में भी दर्ज है परन्तु वादी के पक्ष में जमाबन्दी में इन्तकाल नहीं हुआ । प्रतिवादी इस आराजी पर जबरन निर्माण कार्य कर रहे हैं । अतः प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज कर उभयपक्ष की बहस सुनकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 7.5.2013 को खारिज कर लिया जिस निर्णय दि0 7.5.2013 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रामजीलाल एवं रामचन्दर भूमिहीन अनुसूचित जाति के सदस्य होने के कारण बाजाब्ता सरकार द्धारा आराजी आवंटन की गई जिस बाबत आवंटन पत्र एवं पट्टा जारी किया गया तथा विधिवत् दखल दिलाया गया । अपीलांटान उक्त आराजी पर बाद आवंटन से बदस्तूर अपने बुजुर्गो के फुट ऑफ स्टेप पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा अपीलांटान की काश्त रेकार्ड मे दर्ज होती रही है जो कि खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है । अपीलांट लगान आदि भी जमा कराते रहे हैं जिसकी रसीदात तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी । बाद आवंटन उक्त आराजी की बाबत गैर खातेदारी का इन्तकाल भी अपीलांट के नाम दर्ज व स्वीकार हो चुका है तथा उक्त आराजी कभी भी रेस्पो0 वन विभाग की नहीं रही तथा सदैव से कृषि भूमि रही है जो राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है । कानूनन विद्वान तहत

न्यायालय को मुख्य कानूनी तीनों बिन्दुओं सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या मामला एवं नापूर्ति होने वाली क्षति पर अलग–अलग विवेचन नहीं किया । अपीलांट एवं उनके बुजुर्गान ने विवादित आराजी में काफी जिस्मानी मेहनत करके काफी लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया है तथा अपीलांट भूमिहीन है । विवादित आराजी के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है । यदि रेस्पो0 ने विवादित आराजी से अपीलांट को बेदखल कर दिया तो नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । इसलिए रेस्पो0 को पाबन्द करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय गोविन्द नारायण बनाम राजस्थान सरकार दि0 11.4.2011 की प्रति प्रस्तुत की ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस प्रतिउत्तर में कथन किया कि विवादित आराजी प्रति0 सं0 2 वन विभाग की आराजी है जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड में मौजूद है । विवादित आराजी अलवर राज्य के समय से वन विभाग के कब्जे में है और वन विभाग की सम्पति है जिसमें वन विभाग को राज्य की योजना के तहत कार्य करने का पूरा अधिकार है । विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है । अपीलांट ने विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर रखा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह माना है कि प्रस्तुत रेकार्ड के अनुसार भूमि वन विभाग के नाम गै0मु0 पहाड़ दर्ज है । अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं पाया जाता है, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं पायी गयी ।

पत्रावली पर उपलब्ध ख0 नं0 3332 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा सम्वत् 2033 में गै0मु0 पहाड़ दर्ज है । यह आराजी महकमा जंगलात विभाग के नाम अंकित है तथा इस पर कॉलम नं0 16 में रामजीलाल पुत्र छोटेलाल व रामचन्द्र पुत्र नारायण भैरू का चबूतरा अतिक्रमी 4 बीघा दर्ज है । पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न सम्वतों की खसरा गिरदावरियों में विवादित आराजी ख0 नं0 3332 की भूमि की किस्म गै0मु0 पहाड़ दर्ज है तथा महकमा जंगलात विभाग के नाम दर्ज रहीं है । रेस्पो0 / अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि वादीगण / अपीलांट द्वारा पूर्व में एक दावा किया गया था जो न्यायायलय द्वारा अनुतोष नहीं दिये जाने पर निरस्त करा लिया गया । अतः अब वादीगण पुनः नये सिरे से दावा लाने से विबंधित है । विवादित आराजी वर्तमान में भी जंगलात विभाग के नाम दर्ज है ।

अपीलांट ने धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दि0 27.3.2000 को प्रस्तुत किया । प्रथम आदेशिका दि0 27.3.2000 की है, तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 7.5.2013 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया गया ।

इस प्रकार राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी महकमा जंगलात के नाम से दर्ज गै0मु0 पहाड़ की भूमि पर अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं पाये जाने का निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय ने निकाला है, वह पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रकाश में सही



7/12

प्रतीत होता है । साथ ही अपीलांट के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी नहीं पाये जाने के कारण अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय दि0 7.5.2013 यथावत जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/12/17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर